प्रकरण संख्या–11/2020 GCMS ID-2020/00076 तारीख रजु–27.08.2020

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

विरमा देवी पत्नि गोपी, आयु 40 साल जाति जाट निवासी जाट की सराय, हिण्डौन सिटी, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज.) – प्रार्थी

बनाम

1. नूर पुत्र बदले आयु 42 साल जाति मुसलमान निवासी चुन्नी भोला की टाल के पीछे, बयाना रोड, हिण्डौन सिटी, जिला करौली जरिये मुख्त्यारखास विशम्भरदयाल शर्मा पुत्र घमण्डीराम जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज0)
2. विमलेश देवी पुत्री विशम्भरदयाल पत्नि पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी शहर तहसील नादौती हालवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0)
4. उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत ट्रांसफर किये जाने पत्रावली धारा 235 टीनेंसी एक्ट उनवानी नूर बनाम विरमा देवी आदि दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मु0नं0 34/2018 तारीख पेशी 31.08.2020 न्यायालय उपजिला कलक्टर, हिण्डौन

उपस्थिति–

1. श्री कृष्णमोहन शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी
2. श्री जयेन्द्र सिंह जादौन, एडवोकेट प्रत्यर्थी नं. 1

निर्णय

दिनांक 01.12.2020

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 235 के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय हिण्डौनसिटी में प्रस्तुत वाद संख्या 34/2018 उनवानी नूर बनाम विरमा देवी बाबत् तकास्मा में पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण उक्त वाद को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र, प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में जरिये मुख्त्यारखास एक राजस्व वाद उनवानी नूर बनाम विरमा देवी आदि मुकदमा नंबर 34/2018 बाबत तकास्मा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर रखा है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 31.08.2020 नियत है। न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा उक्त प्रकरण विरमा देवी बनाम नूर मुकदमा नंबर 48/2018 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रत्यर्थी नं. 1 ने माननीय उपजिला कलक्टर हिण्डौन से साज कर लिया है, जिसके कारण माननीय न्यायालय उक्त प्रकरण में नजदीक, नजदीक तारीख पेशीयां दे रहे है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी नं. 1 को उपजिला कलक्टर हिण्डौन के चैम्बर में तारीख पेशीयों के दिन आता जाता देखा है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को माननीय उपजिला कलक्टर हिण्डौन सिटी से न्याय की उम्मीद नही रही है इसलिये उक्त प्रकरण नूर बनाम

जिला कलक्टर
करौली

विरमादेवी आदि दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नंबर 34/2018 न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन को किसी अन्य राजस्व न्यायालय में ट्रांसफर करवाना चाहता है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी नं. 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हए बहस में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नंबर 1 में दर्ज तथ्य स्वीकार है। अप्रार्थी नंबर 1 ने विरमा देवी वगै. के विरूद्ध भूमि खसरा नंबर 1420 रकबा 0.27 हैक्टेयर स्थित हिण्डौन जो कि अप्रार्थी नं. 1 एवं अप्रार्थी नं. 2 तथा आवेदक विरमा देवी की संयुक्त खातेदारी आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें अप्रार्थी नंबर 1 का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी नं. 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रार्थी विरमा देवी का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त आराजी का पक्षकारान ने वहामी तौर पर अरसा करीब 20 वर्ष पूर्व बंटवारा कर रखा है, अप्रार्थी नं. 1 ने अपनी उक्त खातेदारी हिस्से की आराजी के लिये दिनांक 30.03.2017 से जरिए पंजीकृत मुख्त्यार के तौर पर विशम्भर दयाल शर्मा को नियुक्त कर रखा है। उक्त आराजी की सीमा और भेज सरकारी को लेकर पक्षकारान के बीच आए दिन विवाद होने पर अप्रार्थी नंबर 1 ने प्रार्थी व अन्य सहखातेदार से आपसी सहमति से आराजी का विधिवत बंटवारा करवाने के लिये मई 2018 में कहा था, दिनांक 10.05.2018 को विधिवत बंटवारा करने से प्रार्थी द्वारा इंकार करने पर अप्रार्थी नंबर 1 ने आराजी का विधिवत बंटवारा करवाने के लिये दिनांक 10.05.2018 को न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन में उक्त उनवानी वाद नंबरी 34/2018 पेश किया है, जिसके सम्मन प्रार्थी को प्राप्त होते ही प्रार्थी ने उक्त आराजी का बंटवारा नही होने देने के आशय से न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नंबर 48/2018 पेश कर अंतरिम स्थगन एक पक्षीय रूप से प्राप्त कर लिया, जिसमें प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नंबर 1 का हिस्सा भी जरिये पंजीकृत बयनामा खरीदना जाहिर किया है। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमें का अप्रार्थी नं. 1 ने दिनांक 23.07.2018 को ही जवाब पेश कर दिया है। पत्रावली दिनांक 23.07.2018 से बहस अंतिम के स्तर पर है, जबकि मूल वाद नंबरी 34/18 में प्रार्थी द्वारा डिले करने के आशय से आज दिन तक जवाब दावा पेश नहीं किया है, लगातार करीब 50 पेशियां जवाब दावे के लिये ली गई है, इस पर अप्रार्थी नं. 1 द्वारा शीघ्र न्याय प्राप्त करने एवं आराजी का विधिवत बंटवारा कराने के लिये न्यायालय में कई बार अर्जेन्ट सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र पेश किये है जिनकी सुनवाई में भी प्रार्थी का उद्देश्य मुकदमें के निर्णय को डिले करने का रहा है। प्रार्थना पत्र का मद नंबर 2 गलत है, स्वीकार नही है। न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थी नं. 1 ने कोई साज नहीं किया है। अर्जेन्ट हेयरिंग प्रार्थना पत्र पर विधिवत सुनवाई कर प्रकरण में शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिये प्रार्थी के अधिवक्ता की सहमति से तारीख पेशियां मुकर्रर की गई है। अप्रार्थी नंबर 1 आज दिन तक कभी भी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में तारीख पेशियों के दिन नही गए है। प्रार्थी उक्त विवादित भूमि का विधिवत तकास्मा नहीं होने देना चाहती है, इसी बेजा उद्देश्य से पीठासीन अधिकारी एस0डी0ओ0 हिण्डौन के विरूद्ध झूंठे, काल्पनिक व असत्य आरोप लगाकर उक्त प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध रूप से पेश किया है जो काबिले खारिज है। नजदीक तारीख पेशियां दिये जाने का तथ्य वाद में अंकित नहीं है। केवल मौखिक रूप से यह तथ्य उठाया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाने का कथन किया है।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी ने पत्रांक—कोर्ट/2020/904 दिनांक 08.09.2020 से अवगत करवाया है कि उक्त प्रकरण वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था एवं वर्तमान में तनकी में नियत है। पक्षकार अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित रखना चाहते हैं। इस कारण श्रीमान्जी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद मात्र

जिला कलक्टर
करौली

विभाजन वाद है। प्रकरणों में प्रार्थीगण अग्रिम कार्यवाही न कर अनावश्यक विलंब कर रहे हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। फिर भी अन्य न्यायालय में प्रकरण को अंतरित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अप्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी से साज कर लेने का कोई ठोस सबूत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण मात्र विभाजन का है जिसमें प्रार्थी द्वारा एकपक्षीय निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गई है एवं अब प्रकरण को अनावश्यक रूप से देरीना कर रहे हैं। न्याय के सिद्धान्त के अनुसार किसी भी वाद का शीघ्र निस्तारण होना उचित है। अतः हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापिस भिजवाया जावे। उभय पक्षकारान दिनांक 15.12.2020 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी में उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली